फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 133 सन् 2019

E-5 1127 15.1.20

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/19	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सीतादास पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी बाड़ा तहसील सुजानगढ ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चरला की जमाबन्दी संवत 2075–2078 में नया खाता खंख्या 103 पुराना खाता संख्या 97 में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी चरला दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम सीतादास पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी चरला है। प्रार्थी का नाम सीतादास पुत्र ज्ञानदास किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2075–78 में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी चरला दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम सीतादास पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी चरला है। जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चरला तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में नया खाता संख्या 103 पुराना खाता संख्या 97 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	2020 00002

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	चरला	103/97	सीताराम पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी चरला खातेदार	सीतादास पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी चरला खातेदार

बैंक राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ व शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 16:25:31 IST
Reason: SelfAttested